ई-मेल

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त, कुल सचिव, केन्द्रीय/राज्य/निजी विश्वविद्यालय, जनपद लखनऊ।
2–समस्त प्रबन्धक/कुल सचिव/निदेशक/प्राचार्य मेडिकल/प्रधानाचार्य/इजीनियरिंग/प्रबन्धन/पैरामेडिकल/पालीटेक्निक/आई0टी0आई0, जनपद लखनऊ।

पत्रांक : सी-159 /स0क0/दशमो0 छात्र0/2024–25 दिनांक : 15 अप्रैल, 2024

विषयः– **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023–24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु संशोधित समय–सारिणी के द्वितीय चरण के अनुसार समस्त कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023–24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु संशोधित समय–सारिणी के द्वितीय चरण के बिन्दु संख्या–21 में स्पष्ट उल्लेख है कि " **छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने की तिथि 15 अप्रैल, 2024 तक निर्धारित है।** "

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त समय–सारिणी में उल्लिखित बिन्दु संख्या–21 के अनुसार निर्धारित समयावधि दिनांक 15 अप्रैल, 2024 तक दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्र/छात्राओं का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने तथा अपात्र छात्र/छात्राओं के आवेदन निरस्त करने हेतु नियमानुसार समस्त कार्यवाही कराने का कष्ट करें, जिससे पात्र छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लाभ से वंचित न रहें। यदि किसी भी पात्र छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र अग्रसारण हेतु लम्बित रह जाते हैं तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा।

भवदीय,

(सुनीता सिंह)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
लखनऊ।

पृष्ठांकन सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लखनऊ

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
लखनऊ।